

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:-

1. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में निर्धारित तिथि एवं समय पर कृति इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड इंजीनियरिंग, ज्ञान गंगा स्कूल के पास, नरदहा, रायपुर उपस्थित हों। यदि आप निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मान लिया जावेगा कि आप इस पद के लिए इच्छुक नहीं हैं और आपकी अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व पहुंचना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक योग्यता, आयु, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु) विकलांग प्रमाण पत्र, मूल रूप से अवश्य लेकर आएं। साथ ही उक्त समस्त दस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित प्रति भी साथ में लायें। मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत पश्चात एक - एक स्व अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
3. अभ्यर्थी यदि शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र भी साथ में लायें।
4. विवाहित अभ्यर्थी विवाह संबंधी संलग्न अभिवचन पत्र की पूर्ति कर साथ लायें।
5. क्रमांक 2, 3 व 4 में उल्लेखित दस्तावेज साथ में न लाने पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. यथा आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
7. मेरिट में शीर्ष स्थान प्राप्त अभ्यर्थी का चयन इस हेतु गठित विधानसभा सचिवालय की चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र होने पर ही नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा।
9. अभ्यर्थी अपने साथ वर्तमान के पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ प्रवेश पत्र में यथास्थान चस्पा कर लाएं। साथ ही अपना फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, या शासन द्वारा अधिकृत अन्य पहचान पत्र भी लायें।
10. उक्त फोटोग्राफ पर अभिलेखों के सत्यापन के दौरान हस्ताक्षर करना होगा।
11. परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा कक्ष के बाहर चस्पा रहेगा, जिसे अभ्यर्थी पढ़ लें। उनका पालन सुनिश्चित करें।
12. अभ्यर्थी अपने साथ पेंसिल/पेन लेकर आयें।
13. परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर परीक्षा स्थल में न जायें। परीक्षा स्थल में पर्स, पाऊच तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आदि को लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है।
14. निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।